संख्याः 196 /USDMA-843 (2020)

प्रेषक,

सचिव,
आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

यू.एस.डी.एम.ए. देहरादूनः दिनांक 23 मई, 2020

विषयः उत्तराखण्ड राज्य में भारत के अन्य राज्यों से वापस लौटने वाले नागरिकों (Returnees) की निगरानी एवं डाटा की प्रविष्टि हेतु स्वंय–सेवकों (Volunteers) की सूची/विवरण को उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत लगाये गये देशव्यापी लॉकडाउन के चतुर्थ चरण में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी शिथिलता के फलस्वरूप देश के विभिन्न राज्यों में निवासरत प्रवासी उत्तराखण्ड निवासियों की राज्य के जनपदों में वापसी हो रही है। बड़ी संख्या में प्रवासी नागरिकों की राज्य में वापसी होने की प्रत्याशा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी वापस लौटने वाले नागरिकों (Returnees) को होम क्वारंनटाइन किया जाना अनिवार्य है।

उक्त के सम्बन्ध में राज्य में वापस लौटने वाले नागरिकों (Returnees) की सत्त निगरानी किये जाने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा एक एप्लीकेशन का विकास किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से जनपद एवं राज्य स्तर पर होम क्वारंनटाइन किये जा रहे व्यक्तियों कि आवश्यक जानकारियों को संकलित कर यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी तथा सम्बन्धित व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारियों को प्राप्त करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सकेगा।

अतः उपरोक्त के क्रम में ग्राम्य स्तर पर डाटा की प्रविष्टि हेतु आशाकार्यकत्री, ए0एन0एम0, ग्राम प्रधान या वी0एल0ई0 को दायित्व दिया जायेगा

तथा शहरी क्षेत्रों में यह निर्णय लिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त वार्डो में प्रवासी नागरिकों की निगरानी तथा उक्त एप्लीकेशन में डाटा की प्रविष्टि किये जाने हेतु इच्छुक स्वंयसवेकों का चयन करते हुये विस्तृत सूची (स्वंयसेवक का नाम, वार्ड का नाम, पता, मोबाईल नम्बर) तैयार कर 03 दिवसों की भीतर राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को साफ्ट एवं हार्ड कापी में (e-mail-usdmaac@gmail.com, Fax No. 0135-2710335) पर उपलब्ध करवायी जाये ताकि यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करवायी जा सके।

भवदीय,

(शैलेश बगोली)
सचिव

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–</u>

1. निजी सचिव, मा0 मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, आई0टी0डी0ए0।

(शैलेश बगोली)
सचिव